कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय-बिहार, पंचदीप भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-**800001**
Tel: 0612-25211928, Fax: 0612-2533314
E-mail: rd-bihar@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in / www.esic.in

प्रेस वज्ञप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आश्रत हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक : **22-05-2025**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बीमा आयुक्त (पूर्वी क्षेत्र), श्री प्रणय सन्हा, कर्मचारी राज्य - बीमा निगम बीमा, बीमा आयुक्त (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार साहू, कर्मचारी राज्य बीमा निगम झारखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक श्री राजीव रंजन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक, सीए. निरंजन कुमार द्वारा सादे समारोह में मेसर्स एफो टेको सोलूसन प्रा. ल. के अंतर्गत पंजीकृत बीमत व्यक्ति श्री सफीरूल जो वशाखापतनम में हेल्पर के पद पर कार्यरत थे उनकी आश्रता पत्नी - अस्फेरा खातून, माता- जमीला बोया को कर्मचारी राज्य बीमा अधनियम, 1948 के अंतर्गत आश्रत हितलाभ प्रदान कया गया और संवेदना व्यक्त की गयी ।

स्व. सफीरूल की मृत्यु दिनांक 10-08-2023 को कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी | वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे व परिवार पूर्णतः आर्थक रूप से उन पर निर्भर था| नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आश्रतों के लए मासक पेंशन स्वीकृत कया गया । पेंशन के रूप में 555 रु. प्रतिदिन की दर से प्रतिमाह रु. 16,650/- आश्रतों को मलेगा । दुर्घटना की तिथ से आज तक लगभग रु. 333000-/ रुपये का बकाया भुगतान भी उनके खाते में अंतरित कया जा रहा है ।

उल्लेखनीय है क कार्य के दौरान व कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को कर्मचारी राज्य बीमा अधनियम 1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बीमत कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रत परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मासक आश्रत पेंशन दिया जाता है । इस सादे समारोह में अभषेक कुमार, सहायक निदेशक, पूर्वी क्षेत्र भी उपस्थित थे ।

क्षेत्रीय निदेशक